



प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु,
सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

सेवा में,

कुलसचिव,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड :

देहरादून : दिनांक : 12 दिसम्बर, 2018

महोदय,

कृपया कुमाऊँ विश्वविद्यालय के पत्रांक-मान्यता/सम्बद्धता/2018/225, दिनांक 03-08-2018 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 राज्यपाल/कुलाधिपति जी द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-37(2) के अधीन निम्न संस्थान/कॉलेज को स्तम्भ-2 में वर्णित पाठ्यक्रम में उनके सम्मुख वर्णित सीटों की प्रवेश क्षमता एवं अवधि हेतु नवीन अस्थाई सम्बद्धता के प्रस्ताव पर अनुमोदन निम्न शर्तों के अधीन प्रदान किया गया है:-

संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता प्रति सत्र(सीट)	शैक्षिक सत्र
1	2	3	4
ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज, कोर्ट रोड, काशीपुर।	बैचलर ऑफ फाइन आर्ट (B.F.A.)	40	2018-19

- संस्थान/कॉलेज अपने सभी मानक पूर्ण होने तथा निर्विवाद गतिविधियों की पुष्टि का प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगा तथा विश्वविद्यालय इसकी पुष्टि सुनिश्चित करेगा। कुलपति यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य सम्बद्धता हेतु सभी मानक पूर्ण किये जाने के उपरान्त ही सम्बद्धता प्रस्ताव कुलाधिपति के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सम्बद्धता प्राप्त होने से पहले कोई भी संस्थान छात्रों को प्रवेश न दें।
- संस्थान में मानकानुसार फ़ैकल्टी की नियुक्ति व अन्य आधारभूत सुविधाओं की स्थापना सुनिश्चित की जायेगी और यदि इसमें कोई त्रुटि/कमी परिलक्षित होती है, तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी संस्थान के साथ-साथ विश्वविद्यालय के सम्बन्धित अधिकारी की होगी और इस सम्बन्ध में उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- संस्थानों को सम्बद्धता दिये जाने के सम्बन्ध में कुलपति की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी की मानकों को पूर्ण कराते हुये सम्बद्धता के सम्बन्ध में कार्यपरिषद में लिये गये निर्णय की समयबद्ध/त्रैमासिक रिपोर्ट मा0 कुलाधिपति जी को प्रस्तुत करेंगे।
- संस्थान/कॉलेज को शुल्क एवं प्रवेश के सम्बन्ध में नियामक संस्था/शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये गये नियमों एवं आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। इसका उल्लंघन पाये जाने पर शासन/विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित संस्थान/कॉलेज के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
- कुलाधिपति/शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर स्वयं या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से संस्था का निरीक्षण किया जा सकता है और पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित नियामक संस्था एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किये गये मानकों/आदेशों का अनुपालन न करने पर संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

क्रमशः.....2/-

